मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 21, 1913)

समय 10.30 बजे

1-प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष समाप्ति दिनांक 30 जून, 1983 के लिए पटल पर रखेंगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सुश्री कल्याणी पाण्डे, श्रीमती जयश्री बेनर्जी, श्री प्रकाश जैन, सदस्य, प्रदेश के पशु चिकित्सकों के सामूहिक त्याग-पत्र दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, पशुधन का ध्यान आकर्षित करेंगे

(2) चौधरी राकेश सिंह, श्री सूबेदार सिंह, श्री पूरन सिंह पलैया, सदस्य, ग्वालियर स्थित जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती दो व्यक्तियों की हुई हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, बड़वाह स्थित एक आसवनी को कच्चे माल का आवंटन न हो पाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले की अनेक तहसीलों में अवैध शराब की हो रही बिक्री की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री सूबेदार सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, रायसिंह राठौर, सदस्य, खरगोन जिले के गोगांव में एक परिवार को जिन्दा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर सेन्ट्रल जेल में एक कैदी की हुई मृत्यु की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर स्टेडियम के नीचे स्थित तरूण पुष्कर में एक युवक की हुई मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सुश्री कल्याणी पाण्डे, सदस्य, नरसिंहपुर के निकट ग्राम नागनेर में एक गाड़ी उलटने से चौदह व्यक्तियों की हुई मृत्यु की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(9) श्री प्रकाश सोनकर, सदस्य, इन्दौर कृषि उपज मंण्डी के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के वनगढ़ निवासी एक व्यक्ति का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मदन लाल त्यागी, सदस्य, सीहोर स्थित भोपाल शुगर इन्डस्ट्री द्वारा कृषकों को गन्ने का मूल्य न दिये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री आरिफ अकील, विश्वम्भरनाथ पाण्डे, सदस्य, भोपाल में सब्जियों की आमद प्रभावित होने से नागरिकों को हो रही परेशानी की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, दुर्ग जिले के बालोद नगर के कुदरूपारा मोहल्ले में एक व्यक्ति की हुई हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन की क्षिप्रा एवं खान नदी का जल प्रदूषित होने की ओर राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर स्थित सी.आई. जेल में मारपीट से एक कैदी की हुई मृत्यु की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री भैयाराम खूंटे, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा विक्रित तेन्दू पत्ते की राशि न मिल पाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य -

(क) भोपाल शहर के लालघाटी से हटाये गये निवासियों को पुनर्वासित किये जाने,

(ख) भोपाल के गरम गड्ढे के अस्तित्व को बचाने, तथा

(ग) भोपाल के टीला जमालपुरा से कांग्रेस नगर के बीच स्थित पुलिया को उंचा कराने,

(2) श्री मगनलाल गोईल, सदस्य -

(क) जिला टीकमगढ़, तहसील निवाड़ी के ग्राम अतर्रा के चंदेली तालाब के भराव के लिये फीडर चेनल डालने, तथा

(ख) खिरिया - कक्करवाहा सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने,

(3) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, जिला रीवा, पोस्ट पड़रिया, ग्राम परीहान टोला के वार्ड एक में पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प लगाने, तथा

(4) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य, गृह निर्माण मंडल एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले लीज रेंट में अंतर,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5- रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो. "

6- अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की अनुसूची 3 की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (10) की अपेक्षानुसार अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों. "

7- माध्यमिक शिक्षा मण्डल में रिक्त हुये एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 (1) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल में रिक्त एक पद के लिये विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों. "

8- वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगो पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मिनिट (शेष 36 मिनिट)	(1)	मांग संख्या 07	वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मिनिट	(2)	मांग संख्या 10	वन
1 घन्टा 30 मिनिट	(3)	मांग संख्या 30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 62	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या 50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय

9- अशासकीय संकल्प

15 मिनिट (1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

"इस सदन की राय में शासन मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग सहकारी महासंघ पंजीयत का पुनर्गठन करते हुए प्रदेश तथा जिला स्तर पर संचालक मण्डल में वंशानुगत मछुआ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करें तथा आगामी 5 वर्षों में वंशानुगत मछुओं की प्राथमिक सहकारी समितियों को शासकीय आर्थिक सहायता अनुदान उपलब्ध कराए."

25 मिनिट (2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

" सदन का यह मत है कि घोषित घातक मादक रसायनों का सेवन करने को आत्महत्या का प्रयास तथा ऐसे रसायनों/पदार्थो के विक्रय को हत्या का प्रयास निरूपित करते हुए संबंधित कानून में संशोधन किया जाए."

30 मिनिट (3) सर्वश्री सूबेदार सिंह/प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

" सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के किसानों की समस्त फसलो के लिये बीमा योजना लागू की जाए."

20 मिनिट (4) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

" इस सदन की राय में अनेक वर्षों से निर्माणाधीन विद्युत एवं विद्युत सह सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम अथवा किसी केन्द्रीय एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया जाएं."

10- अशासकीय विधेयक.

30 मिनिट श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सेवाओं में पदों और रिक्तियों का आरक्षण विधेयक, 1991 (क्रमांक 2 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11- नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 3 जुलाई ,1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 519) के उत्तर से उदभूत विषय पर सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा/रामेश्वर अखण्ड,सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 4 जुलाई, 1991 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 508) के उत्तर से उदभूत विषय पर श्री गजराज सिंह सिकरवार,सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक 11 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा